

कार्यालय जिला परिषद (ग्राविप्र) सिरोही

क्रमांक :- जिपसि/ग्रावि/नरेगा/2015-16/594-603

दिनांक :- 23/7/15

सामाजिक अंकेक्षण के लिए "ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों" के चयन हेतु आवेदन आमन्त्रण विज्ञप्ति

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 576-585 दिनांक 24.06.2015 द्वारा जिला सिरोही की ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए "ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों" के चयन हेतु आवेदन आमन्त्रण विज्ञप्ति जारी की गई। उक्त संसाधन व्यक्तियों के आवेदन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 03.08.2015 तक बढ़ाई जाती है। विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्राविप्र) सिरोही

क्रमांक :- जिपसि/ग्रावि/नरेगा/2015-16/594-603

दिनांक :- 23/7/15

प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, सिरोही
3. कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही/शिवगंज/रेवदर/पिण्डवाड़ा/आबूरोड़ को भेजकर लेख है कि ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवेदन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि बढ़ाई जाने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आप अपने स्तर से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करावें, ताकि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। इस हेतु आपके अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को भी निर्धारित संख्या में आवेदन प्राप्त करने वास्ते निर्देशित करावें, ताकि तीन गुणा पैन्ल तैयार हो सके।
4. सम्पादक, दैनिक भास्कर सिरोही को भेजकर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम स्पैस में स्थानीय परिशिष्ट (सिरोही संस्करण) में निर्धारित डीपीआर दर अनुसार प्रकाशित कर बिल प्रस्तुत करें।
5. उपनिदेशक, जिला ई-गवर्नेन्स, कलेक्ट्रेट सिरोही को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व विज्ञप्ति की निरन्तरता में जारी अन्तिम तिथि बढ़ाने के विज्ञप्ति को वेबसाइट www.sirohi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि जिला सिरोही की ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए "ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों" के चयन हेतु आवेदन आमन्त्रण विज्ञप्ति का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करावे, ताकि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके।



अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्राविप्र) सिरोही